

**बिहार सरकार**  
**खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**

**आदेश**

भारत सरकार के पत्र संख्या 3(4)/2013-Py-1 दिनांक 08.12.2015 द्वारा प्राप्त हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 के कंडिका-04 में उल्लिखित प्रावधान के अनुपालन में राज्य सरकार एवं एफ0सी0आई0 की संयुक्त जांच दल का गठन किया जाना है जिसमें वर्ष 2015-16 एवं उसके पश्चात धान अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यों की समीक्षा एवं इस संबंध में प्राप्त शिकायतों एवं समस्याओं के निराकरण हेतु निरीक्षण किये जाने का प्रावधान है। इस संबंध में खरीफ विपणन मौसम-2018-19 में धान अधिप्राप्ति के लिए विभागीय पत्र सं0 5730 दिनांक 22.11.2018 द्वारा विस्तृत कार्य-योजना एवं मार्गनिदेश निर्गत किया गया है। साथ ही पत्रांक 5423 दिनांक 26.11.2018 के द्वारा मुख्य सचिव, बिहार के स्तर से उपर्युक्त कार्यों के अनुपालन हेतु दिशा निर्देश भी निर्गत किया गया है। खरीफ विपणन मौसम-2018-19 में धान/सी0एम0आर0 अधिप्राप्ति की गुणवत्ता एवं प्राप्त शिकायतों की जांच हेतु गुण नियंत्रण कोषांग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार, दीघा, पटना से भी दो पदाधिकारियों के नामों को संयुक्त जांच दल में सम्मिलित करने हेतु अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः भारत सरकार द्वारा प्रति हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 की कंडिका-04 में निहित प्रावधान तथा विभागीय पत्र सं0 5730 दिनांक 22.11.2018 द्वारा प्रेषित कार्य-योजना एवं मार्ग-निदेश के आलोक में भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना तथा गुण नियंत्रण कोषांग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार, दीघा, पटना से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार के निम्नांकित पदाधिकारियों को प्रमंडलवार नामित करते हुए संयुक्त जांच दल का गठन किया जाता है।

जांच दल की संख्या	राज्य सरकार की ओर से नामित पदाधिकारियों का नाम	भारतीय खाद्य निगम की ओर से नामित पदाधिकारियों का नाम	प्रमंडल का नाम
01	श्रीमती कल्पना कुमारी, उप निदेशक (खाद्य), पटना प्रमंडल, पटना। मो0- 9973149712	मो0 एम0जेड0 खान, सहायक क्षेत्रीय निदेशक (एस0 एण्ड आर0/गुण नियंत्रण कोषांग, दीघा पटना)।	पटना प्रमंडल।
02	मो0 अफजालुर रहमान, उप निदेशक (खाद्य), मगध प्रमंडल, गया। मो0- 9939342448	श्री संजय कुमार प्रबंधक (गुण नियंत्रण) मो0- 9955998871	मगध प्रमंडल।
03	श्री विनय कुमार, आयुक्त के सचिव-सह-उप निदेशक (खाद्य), दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा। मो0- 9431272774	श्री राजेश कुमार प्रबंधक ( गुण नियंत्रण) भारतीय खाद्य निगम, पटना। मो0- 9955996953	दरभंगा प्रमंडल।
04	श्री अजय कुमार सिन्हा, उप निदेशक (खाद्य), सारण प्रमंडल, सारण मो0- 9123129414	श्री नागेन्द्र कुमार सिंह प्रबंधक (सामान्य) भारतीय खाद्य निगम, पटना।	सारण प्रमंडल
05	श्रीमती पुनीता श्रीवास्तव, उप निदेशक (खाद्य) तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर मो0- 9431668338	श्री जगदीश ई0., तकनीकी पदाधिकारी (एस0 एण्ड आर0/गुण नियंत्रण कोषांग, दीघा पटना)।	तिरहुत प्रमंडल

06	श्री सुबोध कुमार चौधरी, प्रमंडलीय आयुक्त के सचिव-सह- उप निदेशक खाद्य, मुंगेर प्रमंडल मो0- 9931285742	श्री दयासागर मिश्र, प्रबंधक (सामान्य) भारतीय खाद्य निगम, पटना।	मुंगेर प्रमंडल
07	श्री मनोज मिश्रा, उप निदेशक खाद्य, पूर्णिमा प्रमंडल मो0- 9931435635	कुमारी नेहा, प्रबंधक (गुण नियंत्रण) भारतीय खाद्य निगम, पटना। मो0- 8340537721	पूर्णिमा प्रमंडल
08	---	श्री निशांत रंजन, प्रबंधक (सामान्य) भारतीय खाद्य निगम, पटना।	कोशी प्रमंडल
09	श्री अमर नाथ साह, उप निदेशक खाद्य, भागलपुर प्रमंडल भागलपुर मो0- 8002857195	श्री विवेक कुमार सिन्हा, प्रबंधक (सामान्य) भारतीय खाद्य निगम, पटना।	भागलपुर प्रमंडल

2. प्रमंडलीय स्तर पर संयुक्त जांच प्रतिवेदन संयुक्त जांच दल द्वारा भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय, नई दिल्ली के द्वारा पत्रांक 523 दिनांक 24.05.2016 के आलोक में उपलब्ध कराये गये विहित प्रपत्र में संयुक्त हस्ताक्षर के उपरांत संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
3. भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य सरकार के पदाधिकारियों की उपर्युक्त गठित संयुक्त जांच दल द्वारा की गयी जांच/अनुश्रवण की समीक्षा प्रत्येक 15 दिनों के अंतराल पर संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा किया जायेगा तथा माह में एक बार भारतीय खाद्य निगम, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं सहकारिता विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।
4. जिन प्रमंडलों में उपनिदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण का पद रिक्त है तथा कतिपय कारणों से प्रमंडल स्तर पर उप निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण के प्रभार आदि में परिवर्तन होता है तो वैसी स्थिति में उपर्युक्त संयुक्त जांच दल में नव पदस्थापित/प्रभारी पदाधिकारी को प्रमंडल स्तर पर प्राधिकृत करते हुए अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया जायेगा एवं उपर्युक्त कृत कार्रवाई की सूचना विभाग को भी उपलब्ध करायी जाये।
5. आदेश में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

*Shu*  
15/2  
(चन्द्रशेखर)

सरकार के अपर सचिव।  
खाद्य, पटना/दिनांक 21.01.13

ज्ञापांक:- प्र010 विविध धान अधि0-07/2017 344

प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, राज्य खाद्य निगम, बिहार, पटना/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/सभी संबंधित उप निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण/श्री एम0जेड0 खान, सहायक, क्षेत्रीय निदेशक, एस0 एण्ड आर0, गुण नियंत्रण कोषांग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, दीघा, पटना/महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, अरुणाचल भवन, एकजीबिशन रोड, पटना एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*Shu*  
15/1/13  
सरकार के अपर सचिव।